न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 08/2025

भारत मूले पुत्र लाला मुले निवासी मैन रोड बस स्टॉप वार्ड 1 नेवरी पोस्ट सालवा तहसील कुही जिला नागपुर महाराष्ट्र

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गेगल जिला अजमेर

............अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री जितेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सुपुदगीनाम धारा 497 व 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत</u>

आदेश

दिनांक–25.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का बोलेरो पिकअप वाहन संख्या MH 40 BL 9883 को पुलिस थाना गेगल द्वारा अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व 61 (2) बी.एन.एस में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना गेगल को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना गेगल में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या MH 40 BL 9883 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना गेगल जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का बोलेरो पिकअप वाहन संख्या MH 40 BL 9883 को पुलिस थाना गेगल द्वारा अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व 61 (2) बी.एन.एस. में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना गेगल को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना गेगल में खुले में पड़ा है जिससे वाहन

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या MH 40 BL 9883 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

थानाधिकारी पुलिस थाना गेगल जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 19.05.2025 में अवगत कराया कि दिनांक 08.04.2025 को परिवादी श्री राजु सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम कायड पुलिस थाना गेगल जिला अजमेर ने मौके पर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मै पुष्कर की तरफ से कायड की तरफ आ रहा तभी एक गाडी नं प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का बोलेरो पिकअप वाहन संख्या MH 40 BL 9883 पिकअप में तीन बछड़े लेकर जाता हुआ नजर आया जिसने पिकअप को चारो तरफ से ढका हुआ था जिसे मेडिकल चौराया कायड़ पर रूकवाकर देखा तो उसमें सफेद कलर के दो बडे बछडे व एक नीले कलर का छोटा बछडा भर रखा था। जिसके बारे में वाहन चालक से पूछा तो उसने अपना नाम भरतलाल बताया व दुसरे का नाम चेतननारायण बताया कि हम बछड़ो को नागौर से लेकर आये और नागपुर महाराष्ट्र लेकर जा रहे है कोई सरकारी कागज होने के बारे में पुछा तो 100 रूपये का नोटरी स्टाम्प बताया और ना ही मेडिकल था ना ही स्टेट परमिशन थी ना ग्राम पंचायत परमिशन थी। अनुसंधान किए जाने पर उक्त जब्तशुदा गोवंश का मेडिकल करवाया जाकर गोवंश की मेडिकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण में धारा 105 बीएनएसएस प्रावधानोनुसार दौराने जब्ती कार्यवाही की विडीयोग्राफी की डी.वी.डी मय हैष वैल्यू रिपोर्ट, धारा 63(4) (ग) भारतीय साक्ष्य प्रमाण पत्र क व ख की प्रतियां तथा प्रकरण हाजा में जब्तशुदा पीकअप नम्बर एम.एच 40 बी एल 9883 व अभियुक्त भारत लाल मुणे के ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्तगण भरत उर्फ भारत लाल मुणे पुत्र श्री लाला मुणे निवासी मैन रोड, बस स्टॉप, वार्ड नं0 1 नेवरी पोस्ट सालवा तहसील कुही पुलिस थाना कुही जिला नागपुर महाराष्ट्र व चेतन नारायण जाम्भुले पुत्र श्री नारायण जाम्भुले निवासी मैन रोड बस स्टॉप वार्ड नं0 1 नेवरी पोस्ट सालवा तहसील कुही पुलिस थाना कुही जिला नागपुर महाराष्ट्र के विरूद्ध जुर्म धारा 5/8 राज. गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेद और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 61 (2) बी.एन.एस. का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में नतीजा चार्जशीट संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 धारा उपरोक्त में किता की जा चुकी है। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा पीकअप नम्बर एम.एच 40 बी.एल 9883 के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। अतः उक्त वाहन को रिलीज कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना गेगल जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम 1995 व 61(2) में बी.एन.एस में जप्तशुदा पिकअप वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर MH 40 BL 9883 के पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या MH 40 BL 9883 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी गेगल ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 0065/2025

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

धारा 5,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्त:स्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन MH 40 BL 9883 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन MH 40 BL 9883 पर रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना गेगल जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन पीकअप MH 40 BL 9883 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर